न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 27/2021

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2021/88

प्रार्थी

1 शम्भूसिंह पुत्र शैतानसिंह, जाति–
राजपुत, निवासी–बावरला,
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1 शैतानसिंह पुत्र चेनसिंह
2 सुमेरसिंह पुत्र शैतानसिंह
3 जेठूसिंह पुत्र शैतानसिंह
4 अनेसिंह पुत्र सोनसिंह
5 कोजसिंह पुत्र अजेसिंह
6 गोदसिंह पु अजेसिंह
7 गोपालसिंह पुत्र अजेसिंह
जातियान–राजपुत, निवासीगण–
बावरला, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
8 जसवन्त कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
9 निरजंन कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
10 प्रतापसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
11 मित्राक्षा कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
नाबालिग जरिये कुदरती वलीय
माता सोहनकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह
12 सोहनकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह
13 धनसिंह पुत्र वगतसिंह
14 लाधूसिंह पुत्र सोनसिंह
15 विक्रमसिंह पुत्र सोनसिंह
16 गोपालसिंह पुत्र गुलाबसिंह
17 सुमेरसिंह पुत्र शैतानसिंह
18 शैतानसिंह पुत्र गुलाबसिंह
जातियान–[illegible] निवासीगण–
बावरला, [illegible]चौर
19 व्यवस्थापक, [illegible] एम.जी.बी. बैंक
शाखा हाडेच[illegible]हसील–सांचौर
20 व्यवस्थापक, स्टेट बैंक ऑफ
इण्डिया, शाखा बिछावाड़ी
21 व्यवस्थापक, जालोर सेन्ट्रल को

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

ऑपरेटिव बैंक, शाखा–सांचौर

22 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी

तहसीलदार सांचौर

23 उप पंजीयक सांचौर, जिला–जालोर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 19.08.2021

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 4, 14, 18 की ओर से विद्वान अधिवक्ता लाधूसिंह किलवा उपस्थित।
4. अप्रार्थीसंख्या 22 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3, 5, 6, 8 लगायत 13, 15, 16, 17, 19 लगायत 21 व 23 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा बावरला में प्रार्थी की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा नंबर 1113 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1247 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नंबर 873 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 874 रकबा 3. 49 हैक्टेयर कुल रकबा 5.18 हैक्टेयर व ग्राम विष्णुनगर के खसरा नंबर 67 रकबा 3.51 हैक्टेयर, खसरा नंबर 74 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नंबर 75 रकबा 1.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 76 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 77 रकबा 1.98 हैक्टेयर कुल रकबा 10.71 हैक्टेयर व ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का बावरला के खसरा नंबर 1146 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 3.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 607 रकबा 2.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 608 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 609 रकबा 2.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 655 रकबा 1.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 656 रकबा 4.21 हैक्टेयर कुल रकबा 14.37 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें प्रार्थी का अपने पिता शैतानसिंह के हिस्से में 1/3 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हकूकों का आया हुआ है मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी प्रार्थी का स्थित है। उक्त आराजी को वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखत किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है जिसमें प्रार्थी का जन्मसिद्व हक हकूक व अधिकार है। प्रार्थी का मौके पर पुश्तैनी कब्जाकाश्त उपयोग उपभोग आया हुआ है। मौके पर प्रार्थी की रहवासीय ढा[illegible] है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है, संयुक्त आराजी है, [illegible] में पुश्तैनी हक हिस्सा मौजूद हैं प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित होने से प्रार्थी का अपने पिता शैतानसिंह की भूमि में 1/3 हिस्सा नोशनलशे[illegible] का आया हुआ है। उक्त हिस्से का अधिकार, हक प्रार्थी का जन्मसिद्व का है। उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी को वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी से बेदखल कर भूमि आगे से आगे से बैचान, रहन, तर्क, दान आदि कर देंगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:57 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

तो प्रार्थी हमेशा के लिए पुश्तैनी हिस्से से वंचित होना पड़ेगा। ऐसी सूरत में वाद की बहुलताएं बढ़ेगी, कानूनी जटिलताएं बढ़ेगी। प्रार्थी को तरह तरह की मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा। प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नहीं है। इस प्रकार कानूनी अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधार स्तम्भ प्रार्थी के पक्ष में। वादग्रस्त आराजी का का बेचान, रहन, तर्क, वसीयत आदि नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 22, 23 वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी भी प्रकर का दस्तावेज पंजीयन नहीं करें। वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, वृक्ष इत्यादि नहीं काटें। वादग्रस्त आराजी की मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 7 ने अपना जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी के सभी खातों में मुझ अप्रार्थी का 1/12 हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त का आया हुआ है जिसमें किसी प्रकार का हक पाने का प्रार्थी अधिकारी नहीं होने से एवं मुझ अप्रार्थी सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं होने से टी.आई. प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 19.08.2021 का मेरे हिस्से तक प्रभावहीन/अपास्त फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा बावरला के खसरा संख्या 1113, 1247, 873, 874 जुमले रकबा 5.18 हैक्टेयर व ग्राम विष्णुनगर के खसरा नंबर 67, 74, 75 76, 77 जुमले रकबा 10.71 हैक्टेयर व ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा नंबर 1146, 519, 607, 608, 609, 655, 656 जुमले रकबा 14.37 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **13.10.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर